उत्तरी शीतोषण क्षेत्रीय केन्द्र
गड़सा बाया भून्तर, कुल्लू, (हि0 प्र0)–175 141

क्रमांकः 7(29)एम / 2001 / वोल–1 /   दिनांक 21.01.2016

वार्षिक ठेका कुटेशन आमंत्रण नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लगभग 250 (संख्या कम भी हो सकती है) अंगोरा खरगोशों की देख–रेख पिजरों व उनके आवासीय स्थान (शैड़ों) की सफाई आदि के वार्षिक ठेका के लिए कुटेशनें / दरें आमन्त्रित की जाती हैं 1 मुहरबन्द कुटेशनें / दरें इस कार्यालय को दिनांक 03.02.2016 को अपरान्ह 1.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए 1 कुटेशनें, दर दाताओं / ठेकेदारों के सामने (यदि कोई चाहे) उसी दिन 2.00 बजे खोली जाएगीं 1

ठेका की शर्तें इस प्रकार हैं1

1. उपरोक्त कार्यों के लिये दरें मासिक आधार पर प्रस्तुत करनी होंगी 1 जिसके लिये कम से कम तीन कुटेशनें अनिवार्य होंगी 1

2. कुटेशन के साथ रु. 1000 / – (एक हजार रुपये मात्र) बतौर साई राशि बैंक ड्राफ्ट / नकद रूप में जमा करवानी होगी 1 बैंक ड्राफ्ट CSWRI Unit, NTRS, Garsa के नाम पर होनी चाहिये1 बिना साई राशि के कोई कुटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी 1 सफल ठेकेदार को कुल ठेका राशि का 10 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जमा करवानी होगीं जिस में साई राशि भी समयोजित की जा सकती है 1 यह राशि ठेकेदार को लिखित प्रार्थना पर ठेका सन्तोषजनक समाप्त होने के एक महीने के बाद लौटा दी जाएगी 1 धरोहर राशि् बैंक ड्राफ्ट जो, सी. एस. डव्लयु. आर.आई यूनिट एन. टी. आर.एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक भून्तर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवी रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं 1

3. ठेके की अबधि 12 महीने की होगी 1 जिस ठेकेदार के पक्ष में ठेका होता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम ठेका हस्तान्तरित नहीं कर सकता 1 ठेके की शर्तों का पालन न करने पर अथवा बार–बार लापरवाही तथा अनुभाग / सेक्टर के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होने पर ठेका तुरन्त समाप्त किया जाएगा ऐसी दशा में ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त की जाएगी 1

4. खरगोशों की समय –समय पर ऊन कतरना, ऊन का नमूना इक्टठा करने में तकनीकी अधिकारी की सहायता करना तथा ऊन को भण्डारण के लिए भण्डार में ले जाना आदि कार्य ठेकेदार को करने होगें 1

5. सेक्टर में रखे जानवरों एवं सेक्टर के सामान की दिन में सुरक्षा की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी 1 ठेकेदार की असावधानी / लापरवाही से जानवरों के खो जाने, जंगली जानवरों का शिकार होने, लापरवाही वश दुर्घटनात्मक आघात मृत्यु होने व चोरी होने पर ठेकेदार को जानवर का मुल्य, बुक वैल्यू के अनुसार भरना होगां 1 खरगोश से अवैध वच्चाा होने पर कम से कम 100 रुपये प्रति घटना के हिसाब से हर्जाना भरना होगा 1 खरगोश के बच्चों का मूल्य 6 से 12 सप्ताह के समतुल्य माना जाएगा 1 यह राशि घटना के 10 दिनों के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा यह राशि उस माह के बिल से काटी जाएगी 1 यदि इस प्रकार की घटना बार–बार ठेकेदार की लापरवाही से होती है तो प्रभारी अनुभाग की संस्तुति पर हर्जाना की राशि बढाई जा सकती है 1

6. ठेकेदार को खरगोशों हेतु चारा या हरी घास स्वयं काटना होगा एवं खरगोशों के समक्ष खाने हेतु डालना होगा 1

7. नियमित व्यवस्थात्मक कार्यों में घास / दाना (सामान्यतः दिन में 2–3 बार), पानी पिलाना (सामान्यतः दिन में 4–5 बार), शैड और फर्श की सफाई (प्रतिदिन), पिंजरे तथा दाना और पानी के बर्तन प्रतिदिन साफ करना तथा अन्य सामान को सप्ताह में एक बार साफ करना, बिसक्रमण के लिये पिंजरों को जलाना (पाक्षिक) प्रतिदिन भण्डार अथवा खेत से दाना/ घास जानवर के लिये लाना तथा प्रभारी अनुभाग द्वारा सेक्टर से सम्बन्धित अन्य कार्य करना शामिल होगा 1 शैडों / सेक्टर की सफाई व सेक्टर से संम्बन्धित नियमित कार्य प्रभारी सेक्टर की सन्तुष्टि अनुसार करना होगा 1 अपूर्ण एवं बार–बार नित्य कार्य में बिलम्ब ठेकेदार की ओर से लापरवाही मानी जाएगी जिसके लिये उनके बिरुद्ध जुर्माने के लिये कारवाई की जा सकती है 1 बीमार जानवरों की विशेष देखभाल करनी होगी तथा उन्हें स्वस्थ जानवरों से अलग करना होगां किसी जानवर की बीमारी अथवा मौत होते ही उसकी सूचना तुरन्त अनुभाग अधिकारी / कर्मचारी को देनी होगी ताकि उसकी चिकित्सा / पोस्टमार्टम का प्रबन्ध किया जा सकें 1 ठेकेदार को इस के अलावा निम्न कार्यों में भी सहायता करनी होगी जैसे जानवरों को टीका / दवाई लगवाना तथा इलाज के समय जानवरों को पकड़ना, टैग लगाना, पोस्टमार्टम में मदद करना 1

8. सेक्टर के जानवरों के साथ निजी जानवर नहीं रखे जाएंगें 1 सेक्टर में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है 1 ठेकेदार या उसके द्वारा लगाए गये श्रमिक किसी असामाजिक गतिविधियों मे सलिंप्त नही होने चाहिये तथा उन्हें केन्द्र के अधिकारी/ कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त निरस्त किया जाएगा 1 ऐसी दशा मे धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी 1

9. ठेकेदार अथवा उसका कम से कम एक कर्मचारी पढा लिखा होना चाहिये 1 दसवीं पास वांछनीय है 1

10. ठेकेदार को श्रमिक नियम/ ई.पी. एफ तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कडाई से पालन करना होगा 1 ठेकेदार को अनुभवी श्रमिक लगाने होंगें 1 अवस्यक श्रमिक स्वीकार नहीं होंगें 1 ठेकेदार को उसके द्वारा लगाये गये श्रमिक की सूची प्रभारी अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी 1 श्रमिक के बारे में (लगाये जाने बाले) आवश्यक अभिलेख/ रजिस्टर स्वंय ठेकेदार को रखना होगा 1 भुगतान से संबंधित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/ क्लेम न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वंय ठेकेदार की होगी 1 साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा 1 किसी भी प्रकार के श्रम विवाद के लिये केन्द्र उतरदायी नहीं होगा 1

11. ठेकेदार / उसके श्रमिकों को कार्य करते हुए किसी प्रकार की क्षति को स्वयं वहन करना होगा 1

12. सन्तोषजनक कार्यपूर्ति के बाद बिलों का भुगतान, बिल प्रस्तुत करने तथा प्रभारी सेक्टर द्वारा सत्यापित करने के बाद, लेखाधिकारी, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर द्वारा 45 दिनों के भीतर किया जाएगा, नियमानुसार आयकर तथा अधिभार (जो लागू होगा) काटा जाएगा 1

13. अधोहस्ताक्षरी को किसी एक अथवा सभी कुटेशनों को स्वीकार / रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा 1

कार्यकारी अध्यक्ष

1 नोटिस बोर्ड, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र, गड़सा
2 प्रधान, ग्राम पंचायत गड़सा, दियार, शियाह, हुरला व थरास
3 प्रभारी ए.आर. यू को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार हेतु प्रेषित है 1